

146

Entree

388

385

455

समाप्त

श्री अनिल सिन्हा, प्रमाण-पत्र पदाधिकारी, धनबाद का न्यायालय ।

प्रमाणपत्रवाद सं० 226/2000-2001

मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक, सिन्धो ब्रांच

ने श्री सुनोदा करमकार - पिता शुक्रु करमकार

ग्राम दरवार - - - - - थाना कलिआपुर - - - - - जिला -

धनबाद - - - - - से 514/100 स्वया को वसूलो हेतु अध्याचना

पत्र दायर किया है । इसमें संलग्न विवरणों के अवलोकन से स्पष्ट होता है

कि वह भाग वसूलो योग्य है । इसको वसूलो विधि वर्जित नहीं है । लोक

भाग वसूलो अधिनियम को धारा 5 के अंतर्गत में संतुष्ट हैं । इसे पंजी 10

में दर्ज करें। अध्याचो पदाधिकारी ने कोर्ट फीस 696/-

स्वये का दाखिल किया है।

धारा 7 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देनदार के विरुद्ध सूचना

जारो करें । अभिलेख दिनांक 30-8-2000 को प्रस्तुत करें ।

प्रमाण-पत्र पदाधिकारी,
धनबाद ।

1-9-06

40
सुनिश्चान

18/3/20

28/5/05

नामिनेव उपस्थित
धारा - 7 का नामिनेव उपस्थित है। पुनः निर्णय के
दिनांक 16.6 को रखें ।

प्रमाण पत्र

श्री 4410
286
30/5/05

6/9/05

श्री 4410 उपस्थित है कि 20/5/05 के
के नाम निर्णय का 7 का निर्णय का नामिनेव
अप्राप्त के पुनः जर्ज किए है प्रमाण पत्र
नाम निर्णय निर्णय करें ।
श्री 4410 का 229/

4410

1-8-06

अभिलेख उपस्थापित।

इन्फार् के विरुद्ध धारा 2-7 निरस्त

करें।

दि 1-8-06 को करें।

~~10/8/06~~
अ. उ. उ.

23/7/06

अभिलेख उपस्थापित। देनदा के साथ
अविव्यापिन के अमा चला दिया गया है।
पुनर्देनदा को नोटिफिकेशन है। अमा 10
70/8/16 को रट्टे। ~~अभिलेख निरस्त 10/8/16~~

~~10/8/16~~
अ. उ. उ.

10/8/16

अभिलेख उपस्थापित। देनदा के
साथ केस के माध्यम से अविव्यापिन
रट्टे। अमा 10 1944 के अमा, अमा
अमा केस के साथ ही अनापन पुनः
फतः प्राप्त है। अभिलेख के रट्टे।
अमा के अमा है।

~~10/8/16~~
अ. उ. उ.